**न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, प्रतापगढ, राज.**

पीठासीन अधिकारी : सुरेशचन्द बंसल,
R.J.S. (D.J. Cadre)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या : 115/2026
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 456/2025 थाना प्रतापगढ़)

हनीफ खान पुत्र श्री हकीम खान, उम्र- 32 वर्ष, निवासी-कच्ची बस्ती, बगवास, पुलिस थाना व जिला-प्रतापगढ़, राज.

---- प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान राज्य ---- विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित

01. श्री विनोद खटीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
02. श्री दिनेश खड़िया, विशिष्ठ लोक अभियोजक।

**आ दे श** **दिनांक 18.07.2026**

1. प्रार्थी हनीफ खान की ओर से प्रकरण में जब्त वाहन मोटरसाईकिल हिरो एचएफ डिलक्स नं. आरजे 35 एसके 1738 को सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने हेतु यह आवेदन अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.11.2025 को थानाधिकारी प्रतापगढ़ श्री दीपक बंजारा द्वारा मय जाब्ता व अनुसंधान सामग्री थाने के सामने मन्दसौर रोड़ पर की जा रही नाकाबन्दी के दौरान 07.20 पी.एम. पर बसाड़ की तरफ से मोटरसाईकिल पर आये युवक के द्वारा पुलिस नाकाबन्दी को देखकर मोटरसाईकिल को वापस घुमाए जाने पर उसे पकड़ा जाकर नाम-पता पूछा तो मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम हनीफ (प्रार्थी) होना बताया । थानाधिकारी के द्वारा शंका के अधीन तलाशी लिए जाने पर हनीफ खान के पहने लोअर की जेब में रखी दो पॉलीथीन की थैलियों से क्रमश 10 ग्राम एम.डी एवं 57 ग्राम एम.डी. में मिलाने का टांका बरामद हुआ । मौके पर कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में गिरफ्तार किया गया व विनिषिद्ध पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त प्रश्नगत वाहन

को वजह सबूत जब्त किया गया, जिसे सुपुर्दगी पर प्राप्त किए जाने हेतु प्रार्थी की ओर से यह आवेदन पेश किया गया है ।

3. प्रार्थी हनीफ खान की ओर से कथित किया गया कि प्रकरण में जब्त प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल हिरो एचएफ डिलक्स नं. आरजे 35 एसके 1738 का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है। प्रश्नगत वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने दैनिक कार्यो में वाहन की आवश्यकता रहती है। थाने में रखरखाव के अभाव में प्रार्थी का वाहन खराब हो रहा है । अतः प्रार्थी को उसका वाहन सुपुर्दगी पर दिया जावे ।

विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

4. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। प्रार्थी प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल हिरो एचएफ डिलक्स नं. आरजे 35 एसके 1738 का पंजीकृत स्वामी है व वाहन उसी के कब्जे से जब्त किया गया है । अनुसंधान में प्रश्नगत वाहन की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है । वाहन एक मूल्यवान सम्पत्ति है, जिसके थाने में खुले परिसर में पड़े रहने से खराब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उचित शर्ते अधिरोपित करते हुए प्रश्नगत वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. परिणामतः प्रार्थी हनीफ खान की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी की ओर से रूपये पचास हजार का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा इस न्यायालय के संतोषानुसार निम्न शर्तो सहित प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जावें किः-

01. प्रार्थी प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल हिरो एचएफ डिलक्स नं. आरजे 35 एसके 1738 को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात विक्रय, रहनबय, बक्षीश नहीं करेगा व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित हस्तान्तरित नहीं करेगा व वाहन के स्वरुप में किसी प्रकार का परिवर्धन-परिवर्तन नहीं करेगा ।

02. प्रार्थी वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के खर्चे पर थानाधिकारी/ अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में वाहन के चारों ओर के रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाएगा, जो अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी एक माह की अवधि में न्यायालय के समक्ष पेश करेंगें।

03. न्यायालय द्वारा वाहन को तलब किये जाने पर स्वयं के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा तथा प्रकरण के अन्तिम निर्णय में वाहन के सम्बन्ध में पारित आदेश की पालना करेगा ।

04. प्रार्थी दौराने साक्ष्य वाहन की पहचान बाबत आपत्ति नहीं करेगा ।

05. प्रार्थी वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में नहीं करेगा ।

तो प्रकरण में जब्त वाहन मोटरसाईकिल हिरो एचएफ डिलक्स नं. आरजे 35 एसके 1738 प्रकरण के अन्तिम निर्णय तक अन्तरिम तौर पर प्रार्थी हनीफ खान को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

(सुरेशचन्द बंसल)

6. आदेश आज दिनांक 18.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशचन्द बंसल)

DEEPAK SINGH CHAUHAN
Digitally signed by DEEPAK SINGH CHAUHAN
Date: 2026.07.22 15:43:19 +0530